



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 924 वर्ष 2026

अल्तमस @ कल्लू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

रवीन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्रीमती अनीता सिंह को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वर्तमान जमानत अर्जी आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे, पुलिस थाना दुधारा, जनपद संत कबीर नगर में पंजीकृत, मुकदमा अपराध संख्या 379/2025 (वर्ष 2025), अंतर्गत धारा 2(b)(i) एवं 3(1) 'उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986' में, विचारण की लंबित अवधि के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के चलते इस मामले में झूठा फंसाया गया है। 'गैंग-चार्ट' (गिरोह-विवरण) में उल्लिखित आपराधिक इतिहास के संबंध में, जमानत अर्जी के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र में स्पष्टीकरण दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि गैंग-चार्ट में उल्लिखित समस्त मुकदमों में आवेदक को पूर्व में ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है, और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (b) में सूचीबद्ध किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो उकसाया है और न ही कोई सहायता की है। उपरोक्त मामले के अलावा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके बाद यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 03.11.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता (जमानत) प्रदान की जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने 'प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य', 2020 (11) एससीसी 648 मामले में दिए गए एक निर्णय पर भरोसा जताया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी आरोपी के विरुद्ध कई आपराधिक मामले लंबित होना, अपने आप में जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान सहायक सरकारी वकील आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध नहीं कर सके, और न ही वे आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य मामला इंगित कर सके, सिवाय उस मामले के जो आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गए 'गैंग-चार्ट' में दर्शाया गया है।

तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और रिकॉर्ड से परिलक्षित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को भी ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

आवेदक, अलतमस उर्फ कल्लू को, उपर्युक्त अपराध संख्या वाले मामले में जमानत पर रिहा किया जाए; इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे। यह रिहाई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, ताकि उसे उन तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष, निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत के दिन, (ii) आरोप-विरचन के दिन, और (iii) बयान दर्ज कराने के दिन।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि साक्ष्य हेतु निर्धारित तिथियों पर—जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों—वह मामले को स्थगित करने की कोई प्रार्थना नहीं करेगा।
- (v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर, या तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से, अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, यह ज़मानत रद्द किए जाने का आधार माना जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस ज़मानत याचिका के निस्तारण के उद्देश्य तक ही सीमित है, और इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर व्यक्त की गई राय के रूप में नहीं समझा जाएगा। विचारण न्यायालय, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

16 जनवरी, 202616

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।